कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सुलतानपुर

प्रशासनिक आदेश संख्या–76 / 2021

माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्रांक–1946/LXXXVII-CPC/e - courts/Allahabad दिनॉकित–26.04.2021 द्वारा निर्गत निर्देश के अनुपालन में पूर्व में पारित विभिन्न प्रशासनिक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दिनॉक–28.04.2021 से अग्रिम आदेश तक परिवार न्यायालय,सुलतानपुर में सीमित न्यायिक कार्य हेतु निम्नलिखित न्यायालय कार्य करेंगे। इस दौरान केवल नये वाद एवं आवश्यक वादों की सुनवाई/ कार्यवाही (Jitsi Meet App) द्वारा की जायेगी। अन्य किसी दाण्डिक या सिविल मामले का कार्य निष्पादित नहीं किया जायेगा और अधिवक्तागण को सम्बन्धित न्यायालय में जाने की आवश्यकता व अनुमति नहीं होगी।

1– प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर दिनॉक–17.05.2021 से 21.05.2021को उपरोक्त कार्य करेंगे।

2–अपर प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय सुलतानपुर तृतीय दिनॉक–10.05.2021 से दिनॉक–14.05.2021 तथा 31.05.2021 से 04.05.2021 को उपरोक्त कार्य करेंगे।

3–अपर प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय चतुर्थ दिनॉक–24.05.2021 से 28.05.2021 को उपरोक्त कार्य करेंगे।

इसी क्रम में उपरोक्त अधिकारीगण द्वारा न्यायिक कार्य का सम्पादन साप्ताहिक आधार पर उनके द्वारा न्यायालय परिसर अथवा आवासीय कार्यालय से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा।

परिवार न्यायालय के कार्य की अवधि प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे तक रहेगी। अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही उनका न्यायिक कार्य पूर्ण हो जाय, वे न्यायालय परिसर छोड़कर जा सकते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय सुलतानपुर हेतु एक अधिकृत ईमेल आईडी dcsultanpur@gmail.com तैयार किया गया है। उक्त ईमेल–आईडी का प्रयोग नये एवं आवश्यक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिये किया जायेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थनापत्रों में अधिवक्ता/ वादकारी द्वारा पूर्ण विवरण मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी सहित दिया जायेगा। कम्प्यूटर अनुभाग ऐसे प्रार्थनापत्रों को डाउनलोड करके उनकी सूची तैयार करेगा। कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा प्रार्थनापत्रों में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसकी तत्काल सूचना सम्बन्धित अधिवक्ता/ वादकारी को कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा दी जायेगी।

इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पारिवारिक न्यायालय सुलतानपुर में उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु मात्र 10 कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित) उपस्थिति होगी। मुंसरिम को निर्देशित किया जाता है कि अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

न्यायालय परिसर में किसी भी अधिवक्ता,वादकारी,स्टाम्प वेण्डर, क्लर्क इत्यादि को अग्रिम आदेश तक न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष/ सचिव, बार एसोसिएशन सुलतानपुर से अपेक्षा की जाती है कि उक्त सूचना अपने स्तर से समस्त अधिवक्ता के मध्य परिचालित करें। परिवार न्यायालय का कार्य केवल वीडियों कान्फेसिंग (Jitsi Meet App) के माध्यम से किया जायेगा, जिसकाLink ID-https:// meet.Jit.si /pjfc है।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1941/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनॉकित–05.04.2021, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक–1944/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनॉकित–14.04.2021 एवं पत्रांक–1945/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad दिनॉकित–22.04.2021 के अनुपालन में इस पारिवारिक न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेशों में दिये गये शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(उत्कर्ष चतुर्वेदी)
प्रधान न्यायाधीश,कुटुम्ब न्यायालय
सुलतानपुर

दिनॉक– .05.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी सुलतानपुर।
2. जिलाधिकारी अमेठी।
3. पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, अमेठी
5. कारागार अधीक्षक,सुलतानपुर।
7. अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन, सुलतानपुर।
8. अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन, कादीपुर।
9. अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन, मुसाफिरखाना।
10. जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल,सुलतानपुर।
11– सिस्टम आफीसर,कम्प्यूटर सेन्टर,सुलतानपुर को जनपद न्यायालय की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
12. जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

Chaturvedi 7/5/21

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
सुलतानपुर।
दिनॉक–07.05.2021